रजिस्ट्री सं. डीएल (एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)—04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 16] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 18—अप्रैल 24, 2015 (चैत्र 28, 1937)

No. 16] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 18—APRIL 24, 2015 (CHAITRA 28, 1937)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय स्टेट बैंक

मुंबई, दिनांक 19 मार्च 2015

ए एण्ड एस क्र. 10/2014-15–एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 25, उप धारा (1) के अनुच्छेद (घ) के अनुसार भारत सरकार से विचार विमर्श के बाद, भारतीय स्टेट बैंक श्रीमती बी. शांति श्री, निवासी प्लॉट नंबर 2, हुडा एन्क्लेव, सड़क संख्या -70, जुबली हिल्स, हैदराबाद - 500034, को स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद के निदेशक पद पर तीन वर्ष की अवधि, दिनांक 21 मार्च 2015 से 20 मार्च 2018 (दोनों दिन सम्मिलित) तक के लिए नामित करता है ।

अरुंधति भट्टाचार्य
अध्यक्ष

राष्ट्रीय आवास बैंक

नई दिल्ली, दिनांक 13 मार्च 2015

सं. एनएचबी.एचएफसी.निर्देश.15/सीएमडी/2015–राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) की धारा 30ए और 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं इस संबंध में सामर्थ्यकारी सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय आवास बैंक ने सार्वजनिक हित में और संतुष्ट होकर यह आवश्यक समझा कि आवास वित्त प्रणाली को देश के लाभार्थ विनियमित करने में सशक्त होने के प्रयोजनार्थ, कि ऐसा करना आवश्यक है, एतद् द्वारा निर्देश देता है कि आवास वित्त कंपनी (रा.आ.बैंक) निर्देश, 2010 (यहां के बाद मुख्य निर्देश के रूप में संदर्भित), तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा, नामतः

1. अनुच्छेद 2 में संशोधन

मुख्य निर्देशों के अनुच्छेद 2 में, उप अनुचछेद (1) में, खंड (वाई) (vi) के बाद निम्नलिखित नया खंड डाला जाएगा, नामतः–

''(vi) (क) एक वर्ष से अधिक की परिपक्वता के साथ अपरिवर्तनीय डिबेंचरों को जारी करने से जुटाई गई कोई राशि और जिसमें 1 करोड़ और उससे अधिक पर प्रति निवेशक न्यूनतम सब्सक्रिप्शन हो, प्रदान करता है कि ऐसे डिबेंचर ऐसे अपरिवर्तनीय डिबेंचरों के संबंध में समय–समय पर राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में जारी किए जाएंगे''

अर्णव रॉय
कार्यपालक निदेशक

———————————

सं. एनएचबी.एचएफसी.निर्देश.2/सीएमडी/2015–राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) की धारा 30ए और 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं इस संबंध में सामर्थ्यकारी सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय आवास बैंक ने सार्वजनिक हित में और संतुष्ट होकर यह आवश्ययक समझा कि आवास वित्त प्रणाली को देश के लाभार्थ विनियमित करने में सशक्त होने के प्रयोजनार्थ, कि ऐसा करना आवश्यक है, एतद् द्वारा निर्देश देता है कि निजी स्थानन आधार पर अपरिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने के आवास वित्त कंपनी (रा.आ.बैंक) निर्देश, 2014 तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा, नामतः

1. अनुच्छे्द 7 का संशोधन

निजी स्थानन आधार पर अपरिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने के आवास वित्त कंपनी (रा.आ.बैंक) निर्देश, 2014 के अनुच्छेद 7 में –

(i) उप–अनुच्छेद (1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किये जाएंगे, नामतः

''(1)(क) 1 करोड़ रूपये की अधिकतम अंशदान के साथ एनसीडीज जारी करने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु ग्राहकों की सीमा 200 होगी एवं ऐसा अंशदान पूर्णतः सुरक्षित होगा''

''(1)(ख) 1 करोड़ रूपये एवं उससे अधिक के न्यूनतम अंशदान के साथ जारी करने के संबंध में ग्राहकों की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी एवं ग्राहकों के पक्ष में प्रतिभूति तैयार करने के विकल्प उपयोग जारीकर्ता के पास होगा। ऐसे गैर अरक्षित डिवेंचरों को सार्वजनिक जमा नहीं समझा जाएगा यथा आवास वित्त कंपनी (रा.आ. बैंक) निर्देश, 2010 में परिभाषित है।

(ii) उप–अनुच्छेद (2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किये जाएंगे, नामतः

''(2) (क) प्रत्येक निवेशक का न्यूनतम अंशदान 20,000/– रूपये होगा।''

''(2) (ख) एनसीडीज का निजी स्थानन का निर्गम दो अलग–अलग श्रेणियों में किया जाएगा प्रति निवेशक 1 करोड़ रूपये के अधिक अंशदान के साथ एवं 1 करोड़ रूपये एवं उससे अधिक के न्यूनतम अंशदान के साथ।''

2. अनुच्छेद 12 का संशोधन

निजी स्थानन आधार पर अपरिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने के आवास वित्तन कंपनी (रा.आ.बैंक) निर्देश, 2014 के अनुच्छेद 12 में उप–अनुच्छेद (3) के पश्चात निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, नामतः

''12 (4) उपरोक्त अनुच्छेद के प्रावधानों में एक वर्ष से अधिक की परिपक्वता के साथ अपरिवर्तनीय डिबेंचरों को जारी करने से जुटाई गई कोई राशि और जिसमें 1 करोड़ और उससे अधिक पर प्रति निवेशक न्यूनतम अंशदान लागू नहीं होगा परंतु ऐसे डिबेंचर ऐसे अपरिवर्तनीय डिबेंचरों के संबंध में समय–समय पर राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में जारी किए जाएंगे।

3. अनुच्छेद 16 का संशोधन

निजी स्थानन आधार पर अपरिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने के आवास वित्त कंपनी (रा.आ.बैंक) निर्देश, 2014 के अनुच्छेद 16 में मौजूदा अनुच्छेद के आखिर में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, नामतः

''आ.वि.कंपनी द्वारा पेश किया गया कर मुक्त बांडों में इन निर्देशों की अनुप्रयोज्यता से छूट दी गई है।''

अर्णव राय
कार्यपालक निदेशक

IndiaCode

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

मुंबई–400051, दिनांक 18 मार्च 2015

संदर्भ.सं.अ.के.आ./महा एवं छग/अधिसूचना धारा1(4)/2756---सा.का. अकेआ (महा एवं छग)/अधिसूचना धारा 1(4)/1(1)/2015/2756 जैसाकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के समक्ष यह आया है कि निम्नलिखित स्थापनाओं के संबंध में नियोक्ता एवं कर्मचारियों के बहुमत ने सहमति दी है कि उनकी स्थापना पर कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण अधिनियम 1952 (1952 का 19 वां) के उपबन्ध लागू किये जाने चाहिए, जिनके नाम निम्नवत हैं :--

<u>मुंबई- I, बांद्रा क्षेत्र :</u>

क्र.सं.	कोड नं	स्थापना का नाम एवं पता	व्याप्ति की तिथि	सहमति की तिथि
1.	महा/बांद्रा/127711	मे.नेशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक लि. 901, 9 वां तल, नरीमन भवन प्रिमाईसेस सीएचएस लि, 227, बॅकबे रिक्लेमेशन, नरीमन पॉईंट, मुंबई-400021	01.01.2012	30.01.2012
2.	महा/बांद्रा/126032	मे.इन्वेंट ॲसेटस् सेक्यूराइजेशन ॲण्ड रिकन्स्ट्रक्शन प्रा.लि, यूनिट नं.107, 10वां तल, जॉलिमेकर चेम्बर नं.II, 225, नरीमन पॉईंट, मुंबई-400021	01.01.2010	07.01.2010
3.	महा/बांद्रा/126931	मे.इंटरनेशनल मिनरलस् ट्रेडींग कं. प्रा.लि, 51/53, ए मित्तल कोर्ट, 5वां तल, नरीमन पॉईंट, मुंबई-400021	01.11.2010	29.11.2010
4.	महा/बांद्रा/126228	मे.टाटा पेट्रोडाइन लि, दि मॅट्रोपॉलिटन, वेस्ट विंग, 3रा तल, बांद्रा-कुर्ला-कॉम्पलेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400051	01.03.2010	01.03.2010
5.	महा/बांद्रा/127565	मे. उस्था मेडीकेयर, 5/2, रूस्तोम बाग, बायकला, मुंबई-400027	01.11.2011	14.12.2011
6.	महा/बांद्रा/126814	मे.एसई ट्रान्सस्टेडिया प्रा.लि, 2/ए, तल मंजिल, फिल्म सेंटर बिल्डिंग, 68 तारदेव रोड, मुंबई-400034	01.10.2010	08.10.2010
7.	महा/बांद्रा/49920	मे.कजारीया पाईपस्, 85/88, जॉली मेकर चेम्बर नं.2, नरीमन पॉईंट, मुंबई-400021	01.07.2008	01.08.2008
8.	महा/बांद्रा/127587	मे.डे लेगे लंदेन फायनान्सियल ॲडवायजरी सर्विसेस इण्डिया प्रा.लि, 3/एफ, फोरबस् बिल्डिंग, चरणजीत राय मार्ग, फोर्ट, मुंबई-400001	01.12.2011	24.01.2012
9.	महा/बांद्रा/48036	मे.जे.जे.ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल ॲण्ड ग्रांट मेडीकल कॉलेज को.ऑप.क्रे.सोसा.लि, 401-बी, टर्फ इस्टेट, ऑफ डॉ.ई.एम.रोड, महालक्ष्मी, मुंबई-400011	01.02.2006	01.02.2006
10.	महा/बांद्रा/128725	मे.स्कायबूम क्रेन हायर, 419 अरूण चेम्बर्स, 4था तल, तारदेव रोड, मुंबई-400034	01.11.2013	27.11.2013

11.	महा/बांद्रा/127762	मे.मेटकैफे एण्ड हडकिंसन प्रा.लि, मॅकीनॉन मॅकनाइज बिल्डिंग, बेलार्ड इस्टेट, मुंबई-400001	01.03.2012	01.03.2012
12.	महा/बांद्रा/47423	मे. अल्फा कॉमोडिटी प्रा.लि, 112-ए, एम्बॅसि सेंटर, नरीमन पॉईंट मुंबई-400021	01.01.2005	19.01.2005
13.	महा/बांद्रा/125006	मे. रिलायन्स इक्विटी ॲडवायजरस (इ) लि, 6वां तल, साखर भवन नरीमन पॉईंट, मुंबई-400021	01.08.2008	30.08.2008
14.	महा/बांद्रा/28245	मे. फजलानी इंटरनेशनल स्कूल, 21वां तल, निर्मल, नरीमन पॉईंट, मुंबई-400021	01.03.2011	30.03.2011
15.	महा/बांद्रा/128512	मे. रिलायन्स एरोस्पेस टेक्नोलॉजिज लि, 3रा तल, मेकर चेम्बर-4, नरीमन पॉईंट, मुंबई-400021	01.06.2013	20.06.2013
16.	महा/बांद्रा/128003	मे. इन्स्टिटयूशनल इन्वेस्टर ॲडवायजरी सर्विसेस इण्डिया लि, 1120, पी जे टॉवर, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई-400001	01.06.2012	23.08.2012

IndiaCode

मुंबई-III, कांदिवली क्षेत्र :

क्र.सं.	कोड नं	स्थापना का नाम एवं पता	व्याप्ति की तिथि	सहमति की तिथि
1.	कांदि/मलाड/215157	मे.मार्स हॉटेल ॲण्ड रिसॉर्ट प्रा.लि. ऑफ इंटरनॅशनल एयरपोर्ट ॲप्रोच रोड, सहार, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400059	01.11.2012	31.10.2012
2.	कांदि/मलाड/94226	मे.कांसिलडेटेड फ्राइट फॉरवर्डस् प्रा.लि. आदर्श ईण्डस्ट्रियल इस्टेट, सहार रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400099	01.04.2006	04.05.2006
3.	कांदि/मलाड/213973	मे.फुर्तादोस स्कूल ऑफ म्यूजिक एलपी, 303/304, संगीत प्लाजा, मरोल मरोशी रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400059	01.08.2011	26.08.2011
4.	कांदि/मलाड/212846	मे.बून इदम एंट्रैन्स टेक्नॉलॉजी (इ) प्रा.लि., 602, एस्कॉट सेंटर, नेक्स्ट टू ली रॉयल मेरीडीयन हॉटेल, सहारा एअरपोर्ट रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400099	01.03.2010	29.04.2010
5.	कांदि/मलाड/213828	मे. ॲस्ट्रॅक पॉवर प्रा.लि., ॲस्ट्रॅक हाऊस, 76-79, मकवाना लेन, तकपाडा, ऑफ अंधेरी कुर्ला रोड, मरोल, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400059	01.06.2011	16.06.2011

6.	कांदि/मलाड/210231	मे.बर्टलिंग लॉजिस्टिक इंडिया प्रा.लि. 303 एवं 304 सिटीपॉईंट, जे.बी.नगर, अंधेरी (पू), मुंबई- 400 059	01.07.2007	14.08.2007
7.	कांदि/मलाड/215276	मे.इफेक्टेक गॅसेस प्रा.लि. प्लॉट नं.एन-163, एमआईडीसी तारापूर, जि-ठाणे-401506	01.12.2012	08.01.2013
8.	कांदि/मलाड/9394	मे.स्कायलिंक फ्राईट इंडिया प्रा.लि. 106, सहार कारगो ईस्टेट, नियर बॉम्बे केम्ब्रीज स्कूल, जे.बी.नगर के पास, अंधेरी (पू), मुंबई- 400 099	01.09.2005	28.10.2005
9.	कांदि/मलाड/21074	मे.एवरेस्ट फायनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कं. 2-बी/10, मित्तल इंडस्ट्रियल ईस्टेट, ए.के.रोड, अंधेरी (पू), मुंबई- 400 059	01.01.2008	11.02.2008
10.	कांदि/मलाड/215912	मे.एवीऑन शिपिंग एन्टरप्रायजेस् 302/बी, सिल्वर एस्ट्रा, जे.बी.नगर, अंधेरी (पू), मुंबई- 400 059	01.10.2008	19.07.2013
11.	कांदि/मलाड/215879	मे.कल्चर मशीन मिडिया प्रा.लि. 3/1, घनश्याम इंडस्ट्रियल इस्टेट, वीरा देसाई रोड, अंधेरी (प), मुंबई- 400 053	01.07.2013	22.08.2013
12.	कांदि/मलाड/216110	मे. आरडब्ल्यूई सप्लाई ॲण्ड ट्रेडिंग (इंडिया) प्रा.लि. , ऑफिस नं.203, विंडफॉल सहार प्लाजा कॉम्पलेक्स, जे.बी.नगर, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी (पू), मुंबई- 400 059	01.02.2014	29.01.2014
13.	कांदि/मलाड/215562	मे. नील कन्सलटेंसी, 003, सत्यम अपार्टमेन्ट-।।।, (के/3/3), ओसवाल ॲम्पायर, नवापूर रोड, बोयसर (प), थाणे- 401 501	01.05.2013	07.05.2013
14.	कांदि/मलाड/216268	मे.फॅब टेक इंजिनियर्स, हाऊस नं.353, बोलिन्ज भिरीम अली, वीरार (प), ता-वसई, थाणे- 401 303	01.04.2014	07.04.2014
15.	कांदि/नासिक/56576	मे. जीवन विकास नगर सहकारी पत. संस्था मर्यादित, मु.गुंजालवाडी, ता-संगमनेर, अहमदनगर- 414 111	01.12.2011	23.12.2011
16.	कांदि/नासिक/57521	मे. धनलक्ष्मी ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पत. संस्था लि., मु.पो.राजपूर, ता-संगमनेर, जि-अहमदनगर- 422 605	01.11.2013	22.11.2013

IndiaCode

नागपुर क्षेत्र :

क्र.सं.	कोड नं	स्थापना का नाम एवं पता	व्याप्ति की तिथि	सहमति की तिथि
1.	नाग/औरंगा/84646	मे. गजानन वीज तांत्रीक स्वयं रोजगार सेवा सहकारी संस्था लि., तुलजाभवानी टेम्पल के पास, जिजामाता नगर, हिंगोली- 431513	01.07.2013	01.07.2013

रायपूर (छत्तीसगढ़) क्षेत्र :

क्र.सं.	कोड नं	स्थापना का नाम एवं पता	व्याप्ति की तिथि	सहमति की तिथि
1.	छग/रायपूर/21915	मे. रेणुका नागरिक सहकारी बँक मर्यादित, अंबिकापूर-पॅलेस रोड, अंबिकापूर- 497001 (छत्तीसगढ़)	01.07.2011	10.02.2011
2.	छग/रायपूर/22138	मे. रायगढ़ नागरिक सहकारी बँक मार्यादित, दरोगापाडा, रायगढ़-496001 (छत्तीसगढ़)	01.11.2011	01.11.2011

अतएव, अब उक्त अधिनियम 1952 के परिच्छेद-I के उप परिच्छेद (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उपरोक्त संदर्भित स्थापनाओं पर उनके समक्ष निर्दिष्ट तिथियों से प्रभावी उक्त अधिनियम के उपबंध एतद् द्वारा लागू करते हैं।

पी.डी.सिन्हा
अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त
(महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़)
कृते केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, नई दिल्ली
की ओर से

———————

बेंगलूर–560013, दिनांक 17 मार्च 2015

पत्र सं. क.भ.नि.स./अकेआ(क व गोवा) नो. 1(10–20)/2485/2014–15––जब कि केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्ति को यह प्रतीत होता है कि निम्न स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता एवं अधिकतम कर्मचारियों ने कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध 1952 (1952 का 19) के उपबंधों को उनके विभिन्न स्थापनाओं को विशेषतः नाम से लागू किए जाने हेतु सहमत हुए हैं।

क्रम सं.	कोड संख्या	स्थापना का नाम	व्यासप्तिक एवं सहमति की तिथि
1	Goa/13087	मेसर्स मंशूर इंटरप्राईजेज	01.09.2011
2	Goa/13136	मेसर्स विलेज पंचायत र्वका	01.03.2012
3	Goa/13249	मेसर्स अमित र्कागो मूर्वस	01.07.2012
4	KN/MLR/1006307	मेसर्स इंटरनेसनल केबल टीवि	01.07.2014
5	KN/MLR/58291	मेसर्स सौदका श्री महागण्पति क्षेत्रा	01.09.2012
6	GLB/RCH/1038205	मेसर्स प्राथिमक कृर्षी पटीना सहकारी संघा नियमित, चिकालगुण्डी	01.10.2014
7	GLB/RCH/1041159	मेसर्स प्राईमरी अग्रिकल्चर कॉपरेटिव सोसईटी, चनाल	01.10.2014
8	GLB/RCH/1038213	मेसर्स प्राथिमक कृर्षी पटीना सहकारी संघा नियमित, मनिकेरी	01.10.2014

IndiaCode

अतः अब उक्तं अधिनियम की धार 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त एतदद्वारा उक्त अधिनियम के प्रवधानों के तहत उल्लिखित स्थापनाओं को प्रत्येक स्थापना के सामने दर्शाए तिथि से लागू करते हैं।

एम नारायाणप्पा
अपर कें. भ. नि. आयुक्त
कर्नाटक व गोवा क्षेत्र, बेंगलूर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

मसाला बोर्ड

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2015

आदेश

सं. प्रशा-1/स्था/एस पी ई डी ए/2014---मसाला बोर्ड, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के अभिकरणों के सहयोग से अवसंरचना, क्वालिटी उन्नयन तथा अनुसंधान के उपबंध हेतु आशयित कार्यकलापों सहित जम्मू-कश्मीर राज्य से गुणवत्तायुक्त केसर के विकास और निर्यात संवर्धन के लिए विनिर्दिष्ट कार्यक्रमों की योजना बनाने तथा उन्हें सहायता देने हेतु अधिदेश सहित एक समिति के गठन का प्रस्ताव करता है;

अतः, अब, मसाला बोर्ड नियम, 1987 के नियम 11 और नियम 13 के साथ पठित मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 (1986 का 10) की धारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा मसाला बोर्ड इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से केसर उत्पादन और निर्यात विकास अभिकरण नामक समिति का गठन करता है।

1. गठन -(1) केसर उत्पादन और निर्यात विकास अभिकरण में निम्नलिखित सदस्य होंगे-

(क)	सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार	अध्यक्ष
(ख)	मुख्य सचिव, जम्मू- कश्मीर सरकार अथवा उनके नामनिर्देशिती	सदस्य
(ग)	कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि	सदस्य
(घ)	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि	सदस्य
(ड.)	अध्यक्ष, मसाला बोर्ड भारत	सदस्य
(च)	निदेशक, एम आई डी एच, जम्मू-कश्मीर सरकार	सदस्य
(छ)	प्रतिनिधि, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड	सदस्य
(ज)	प्रतिनिधि, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई सी ए आर)	सदस्य
(झ)	प्रतिनिधि, शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जम्मू	सदस्य
(ञ)	संयुक्त महा निदेशक, विदेश व्यापार	सदस्य
(ट)	केसर के तीन प्रगतिशील कृषक (जम्मू-कश्मीर सरकार के परामर्श से केंद्रीय सरकार द्वारा नामित किया जाना है)	सदस्य
(ठ)	केसर के दो निर्यातक	सदस्य
(ड)	केसर के दो व्यापारी (जम्मू-कश्मीर सरकार के परामर्श से केंद्रीय सरकार द्वारा नामित किया जाना है)	सदस्य

IndiaCode

(2) केसर उत्पादन और निर्यात विकास अभिकरण की सभी बैठकों की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। उनकी अनुपस्थिति में बैठकों की अध्यक्षता मुख्य सचिव, जम्मू-कश्मीर अथवा उक्त समिति के अगले ज्येष्ठतम सदस्य द्वारा की जाएगी।

2. सचिवालय -(1) केसर उत्पादन और निर्यात विकास अभिकरण की अध्यक्षता एक सचिव द्वारा की जाएगी जिसकी नियुक्ति मसाला बोर्ड द्वारा प्रतिनियुक्ति पर अन्यथा सीधी भर्ती द्वारा की जाएगी और मसाला बोर्ड के अवधारण के अनुसार कर्मचारीवृंद की नियुक्ति की जाएगी।

(2) उप-पैरा (1) में उल्लिखित अभिकरण का मुख्यालय जम्मू-कश्मीर राज्य के श्रीनगर में होगा।

3. कार्य -(1) केसर उत्पादन और निर्यात विकास अभिकरण निम्नलिखित कार्य करेगा, अर्थात :--

(1) केसर की खपत को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम को बढ़ावा;

(2) केसर के उत्पादन, विकास, संवर्धन, विपणन तथा निर्यात से संबंधित कार्यक्रमों, कार्यकलापों तथा परियोजनाओं का समन्वयन;

(3) खेती के बेहतर ढंग, पुनर्रोपण तथा केसर की खेती के अधीन आने वाले क्षेत्र के विस्तार और उसके प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग के लिए सहायता प्रदान करना ;

(4) केसर के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम एवं परियोजनाएं चलाना;

(5) प्रसंस्करण, पैकेजिंग तथा भंडारण के लिए समुचित अवसंरचना के सृजन हेतु सहायता प्रदान करना तथा उसे बढ़ावा देना ;

(6) केसर के प्रसंस्करण, गुणवत्ता, श्रेणीकरण तथा पैकेजिंग की तकनीकों में सुधार हेतु अध्ययनों और अनुसंधान के लिए सहायता प्रदान करना तथा उसे बढ़ावा देना ;

(7) केसर के लिए गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला की स्थापना करना ;

(8) निर्यात हेतु केसर की गुणवत्ता के मूल्यांकन और नियंत्रण से संबंधित कार्यकलाप करना;

(9) केसर के निर्यात के लिए उपयुक्त गुणवत्ता मानक तैयार करना और गुणवत्ता प्रमाणन आरंभ करना ;

(10) केसर के निर्यात-संवर्धन हेतु नए बाज़ारों की पहचान करना;

(11) केसर उद्योग के सभी हितबद्ध पक्षकारों के बीच बाज़ार तथा केसर की कीमत से संबन्धित सूचनाओं का प्रसार करना;

(12) केसर उपजकर्ताओं में सहकारी प्रयासों को बढ़ावा देना;

(13) केसर की वैज्ञानिक खेती, गुणवत्ता परीक्षण, केसर हेतु श्रेणीकरण नियतन संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करना;

(14) केसर उद्योग से संबन्धित किसी भी मामले पर उपजकर्ताओं, ब्योहारियों तथा ऐसी अन्य अभिकरणों, जिन्हें ऐसे विनिर्दिष्ट किया गया हो, से आंकड़े एकत्रित करना;

(15) केसर के उत्पादन, विपणन, गुणवत्ता तथा निर्यात संबंधी मामलों पर केंद्रीय सरकार, जम्मू-कश्मीर सरकार एवं मसाला बोर्ड को परामर्श देना।

(16) गुणवत्तायुक्त केसर के विकास एवं निर्यात संवर्धन संबंधी कार्यक्रमों को बढ़ावा देने और उपर्युक्त कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक अन्य कार्यकलाप करना।

(2) उप-पैरा (1) में उल्लिखित अभिकरण की प्रत्येक तिमाही में एक बैठक होगी और एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम दो बैठकें अवश्य होंगी।

IndiaCode

(4) शक्तियाँ - (1) अपने कार्यकलापों को चलाने के लिए केसर उत्पादन और निर्यात विकास अभिकरण के पास निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी-

(1) अपने पदाधिकारियों हेतु कर्तव्यों का निर्धारण तथा उन पर यथावश्यक पर्यवेक्षण एवं अनुशासनात्मक नियंत्रण, जैसे विहित हो,

(2) मसाला बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियों के अनुसार कार्यक्रमों, कार्यकलापों एवं सेवाओं के आयोजन तथा इनके प्रभावी निष्पादन के लिए अन्य प्रशासनिक व्यय हेतु व्यय की अनुमति देना;

(3) सौंपे गए कार्यों के अनुसार उन मामलों अथवा कार्यक्रमों के बारे में निर्णय लेना ।

(2) जिन मामलों में निर्णय के लिए केसर उत्पादन और निर्यात विकास अभिकरण के विशेष अनुमोदन की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती, उनमें सचिव, मसाला बोर्ड के अध्यक्ष के परामर्श से केसर उत्पादन और निर्यात विकास अभिकरण के कार्यों के प्रभावी निष्पादन हेतु निर्णय ले सकते हैं और की गई कार्रवाई को केसर उत्पादन और निर्यात विकास अभिकरण की अगली बैठक में कार्योत्तर अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

5. वित्त - (1) केसर उत्पादन और निर्यात विकास अभिकरण अपने कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए अपने कार्यकलापों की एक वार्षिक योजना तथा बजट तैयार करेगा और उसे मसाला बोर्ड से अनुमोदित करवाएगा।

(2) केंद्रीय सरकार, मसाला बोर्ड के माध्यम से उतनी राशि प्रदान करेगी, जो आवश्यक समझे।

6. नियंत्रण और पर्यवेक्षण - सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए केसर उत्पादन और निर्यात विकास अभिकरण केंद्रीय सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का अधीनस्थ अभिकरण होगा और मसाला बोर्ड के समग्र प्राधिकार, पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण में कार्य करेगा ।

डॉ. ए. जयतिलक
अध्यक्ष
मसाला बोर्ड

———————

IndiaCode

STATE BANK OF INDIA

MUMBAI, the 19th March 2015

A&S No. 10/2014-15—It is hereby notified for general information that in pursuance of clause (d) of sub-section (1) of Section 25 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act 1959, the State Bank of India has, in consultation with the Government of India, nominated Smt. B. Shanti Sree, residing at Plot No. 2, Huda Enclave, Road No.70, Jubilee Hills, Hyderabad-500034, as Director on the Board of Directors of State Bank of Hyderabad for a period of three years with effect from 21st March 2015 to 20th March 2018 (both days inclusive).

ARUNDHATI BHATTACHARYA
Chairman

NATIONAL HOUSING BANK

New Delhi, the 13th March 2015

No. NHB.HFC.DIR.15/CMD/2015—In exercise of the power conferred by sections 30A and 31 of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987) and of all the powers enabling it in this behalf, the National Housing Bank, having considered it necessary in the public interest, and on being satisfied that for the purpose of enabling it to regulate the housing finance system of the country to its advantage, it is necessary so to do, hereby directs that the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2010 (hereinafter referred to as the principal Directions) shall, with immediate effect, be amended in the following manner, namely—

1. Amendment of Paragraph 2

In Paragraph 2 of the principal Directions, in sub-paragraph (1), after clause (y)(vi), the following new clause shall be inserted, namely:—

"(vi)(a) any amount raised by issuance of non-convertible debentures with a maturity more than one year and having the minimum subscription per investor at Rs. 1 crore and above, provided that such debentures have been issued in accordance with the guidelines issued by the National Housing Bank as in force from time to time in respect of such non-convertible debentures."

ARNAB ROY
Executive Director

No. NHB.HFC.NCD-DIR.2/CMD/2015—In exercise of the power conferred by sections 30A and 31 of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987) and of all the powers enabling it in this behalf, the National Housing Bank, having considered it necessary in the public interest, and on being satisfied that for the purpose of enabling it to regulate the housing finance system of the country to its advantage, it is necessary so to do, hereby directs that the Housing Finance Companies issuance of Non-Convertible Debentures on private placement basis (NHB) Directions, 2014 shall, with immediate effect, be amended in the following manner, namely—

1. Amendment of Paragraph 7

In paragraph 7 of the Housing Finance Companies issuance of Non-Convertible Debentures on private placement basis (NHB) Directions, 2014,

(i) Sub-paragraph (1) shall be substituted by the following, namely:-

"(1)(a) There shall be a limit of 200 subscribers for every financial year, for issuance of NCDs with a maximum subscription of less than ₹1 crore, and such subscription shall be fully secured;"

"(1)(b) There shall be no limit on the number of subscribers in respect of issuances with a minimum subscription of ₹1 crore and above; and the option to create security in favour of subscribers will be with the issuers. Such unsecured debentures shall not be treated as public deposits as defined in the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2010."

(ii) Sub-paragraph (2) shall be substituted by the following, namely:-

"(2)(a)The minimum subscription per investor shall be ₹20,000/-;"

"(2)(b) The issuance of private placement of NCDs shall be in two separate categories, those with a maximum subscription of less than ₹1 crore and those with a minimum subscription of ₹1 crore and above per investor."

IndiaCode

2. Amendment of Paragraph 12

In paragraph 12 of the Housing Finance Companies issuance of Non-Convertible Debentures on private placement basis (NHB) Directions, 2014, after sub-paragraph (3), the following shall be inserted, namely:—

"12(4) The provisions of the above paragraph shall not apply to any amount raised by issuance of non-convertible debentures with a maturity more than one year and having the minimum subscription per investor at Rs.1 crore and above, provided that such debentures have been issued in accordance with the guidelines issued by the National Housing Bank as in force from time to time in respect of such non-convertible debentures."

3. Amendment of Paragraph 16

In paragraph 16 of the Housing Finance Companies issuance of Non-Convertible Debentures on private placement basis (NHB) Directions, 2014, the following shall be inserted after the end of the existing paragraph, namely:—

"Tax exempt bonds offered by HFCs are exempted from the applicability of these Directions."

ARNAB ROY
Executive Director

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

MUMBAI-400 051, the 18th March 2015

ACC/MH&CG/Notification u/s. (4)/2756—S.O. ACC (MH&CG)/Notification u/s.1(4)/1(1)/2015/2756 Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of the employees in relation to the following establishments have agreed that the Provisions of the 'Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provision Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to their establishments namely:—

Mumbai – I, Bandra Region

Sl. No.	Code No.	Name of the establishment	Date of Coverage	Date of Consent
01	MH/BAN/ 127711	M/s. National Australia Bank Ltd, 901, 9th Floor, Nariman Bhavan Premises CHS Ltd, 227, Backbay Reclamation, Nariman Point, Mumbai - 400021	01/01/2012	30/01/2012
02	MH/BAN/ 126032	M/s. Invent Assets Securisation & Reconstruction Pvt. Ltd., Unit No. 107, 10th Floor, Jollymaker Chamber No. II, 225, Nariman Point, Mumbai - 400021	01/01/2010	07/01/2010
03	MH/BAN/ 126931	M/s. International Minerals Trading Co. Pvt. Ltd., 51/53, A Mittal Court, 5th Floor, Nariman Point, Mumbai - 400021	01/11/2010	29/11/2010
04	MH/BAN/ 126228	M/s. Tata Petrodyne Ltd., The Metropolitan, West Wing, 3rd Floor, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400051	01/03/2010	01/03/2010
05	MH/BAN/ 127565	M/s. Ushta Medicare, 5/2, Rustoam Baug, Byculla, Mumbai - 400 027	01/11/2011	14/12/2011
06	MH/BAN/ 126814	M/s. SE TransStadia Pvt. Ltd., 2/A, Ground Floor, Film Centre Building, 68 Tardeo Road, Mumbai - 400034	01/10/2010	08/10/2010
07	MH/BAN/ 49920	M/s. Kajaria Pipes, 85/88, Jolly Maker Chamber No.2, Nariman Point, Mumbai - 400021	01/07/2008	01/08/2008
08	MH/BAN/ 127587	M/s. De Lage Landen Financial Advisory Services India Pvt. Ltd., 3/F, Forbes Building, Charanjit Rai Marg, Fort, Mumbai - 400001	01/12/2011	24/01/2012
09	MH/BAN/ 48036	M/s. J.J. Group of Hospital & Grant Medical College Co-op. Credit Society Ltd., 401-B, Turf Estate, off. Dr. E.M. Road, Mahalaxmi, Mumbai - 400 011	01/02/2006	01/02/2006
10	MH/BAN/ 128725	M/s. Skyboom Crane Hire, 419, Arun Chambers, 4th Floor, Tardeo Road, Mumbai - 400 034	01/11/2013	27/11/2013
11	MH/BAN/ 127762	M/s. Metcalfe & Hodgkinson (Pvt.) ltd., Mackinnon Mackenzie Building, Ballard Estate, Mumbai - 400001	01/03/2012	01/03/2012

IndiaCode

Sl. No.	Code No.	Name of the establishment	Date of Coverage	Date of Consent
12	MH/BAN/ 47423	M/s. Alpha Commodity Pvt. Ltd., 112 – A, Embassy Centre, Nariman Point, Mumbai - 400021	01/01/2005	19/01/2005
13	MH/BAN/ 125006	M/s. Reliance Equity Advisors (India) Ltd., 6th Floor, Sakhar Bhavan Nariman Point, Mumbai - 400021	01/08/2008	30/08/2008
14	MH/BAN/ 28245	M/s. Fazlani International School, 21st Floor, Nirmal, Nariman Point, Mumbai - 400021	01/03/2011	30/03/2011
15	MH/BAN/ 128512	M/s. Reliance Aerospace Technologies Limited, 3rd Floor, Maker Chamber IV, Nariman Point, Mumbai - 400021	01/06/2013	20/06/2013
16	MH/BAN/ 128003	M/s. Institutional Investor Advisory Services India Ltd., 1120, P.J. Tower, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400001	01/06/2012	23/08/2012

Mumbai – III, Kandivali Region

Sl. No.	Code No.	Name and address of the establishment	Date of Coverage	Date of Consent
01	KD/MAL/ 215157	M/s. Mars Hotel & Resorts Pvt. Ltd., Off. International Airport Approach Road, Sahar, Andheri (East), Mumbai - 400059	01/11/2012	31/10/2012
02	KD/MAL/ 94226	M/s. Consolidated Freight Forwarders Pvt. Ltd., 24 Adarsh Industrial Estate, Sahar Road, Andheri (East), Mumbai - 400099	01/04/2006	04/05/2006
03	KD/MAL/ 213973	M/s. Furtados School of Music LP, 303/304, Sangeet Plaza, Marol Maroshi Road, Andheri (East), Mumbai - 400059	01/08/2011	26/08/2011
04	KD/MAL/ 212846	M/s. Boon Edam Entrance Technology (India) Pvt. Ltd., 602, ASCOT Centre, Next to LeRoyal, Meridian Hotel, Sahara Airport Road, Andheri (East), Mumbai - 400099	01/03/2010	29/04/2010
05	KD/MAL/ 213828	M/s. Astarc Power Pvt. Ltd., Astarc House, 76 – 79, Makwana Lane, Takpada, Off. Andheri Kurla Road, Marol, Andheri (E), Mumbai - 400059	01/06/2011	16/06/2011
06	KD/MAL/ 210231	M/s. Bertling Logistics India Pvt. Ltd., 303 & 304, Citipoint, J.B. Nagar, Andheri (East), Mumbai - 400059	01/07/2007	14/08/2007
07	KD/MAL/ 215276	M/s. Effectech Gases Pvt. Ltd., Plot No. N – 163, MIDC Tarapur, Distt. Thane – 401506	01/12/2012	08/01/2013
08	KD/MAL/ 9394	M/s. Skylink Freight India Pvt. Ltd., 106, Sahar Cargo Estate, Near Bombay Cambridge School, Off. J.B. Nagar, Andheri (E), Mumbai - 400099	01/09/2005	28/10/2005
09	KD/MAL/ 21074	M/s. Everest Finance & Investment Co., 2 –B/10, Mittal Industrial Estate, A.K. Road, Andheri (East), Mumbai - 400059	01/01/2008	11/02/2008
10	KD/MAL/ 215912	M/s. Avion Shipping Enterprises, 302/B, Silver Astra, J.B. Nagar, Andheri (East), Andheri (East), Mumbai - 400 059	01/10/2008	19/07/2013
11	KD/MAL/ 215879	M/s. Culture Machine Media Pvt. Ltd., 3/1, Ghanshyam Industrial Estate, Veera Desai Road, Andheri (West), Mumbai - 400053	01/07/2013	22/08/2013
12	KD/MAL/ 216110	M/s. RWE Supply & Trading (India) Pvt. Ltd., Office No. 203, Windfall Sahar Plaza Complex, J.B. Nagar, Andheri Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400059	01/02/2014	29/01/2014
13	KD/MAL/ 215562	M/s. Neil Consultancy, 003, Satyam Apartments III, (K 3/3), Ostwal Empire, Navapur Road, Boisar (W), Thane – 401501	01/05/2013	07/05/2013
14	KD/MAL/ 216268	M/s. Fab Tech Engineers, House No. 353, Bolinj Bhirim Ali, Virar (West), Tal – Vasai, Thane – 401303	01/04/2014	07/04/2014

Sl. No.	Code No.	Name and address of the establishment	Date of Coverage	Date of Consent
15	KD/NSK/ 56576	M/s. Jeevan Vikas Nagar Sahakari Patsanstha Maryadit, AT. Gunjalwadi, TAL. Sangamner, Ahmednagar-414111	01/12/2011	23/12/2011
16	KD/NSK/ 57521	M/s. Dhanlaxmi Gramin Bigarsheti Sahakari Patsanstha Ltd., AT. PO Rajapur, Tal. Sangamner, Distt. Ahmednagar - 422605	01/11/2013	22/11/2013

NAGPUR REGION

Sl. No.	Code No.	Name of the establishment	Date of Coverage	Date of Consent
01	NG/AUR/ 84646	M/s. Gajanan Vij Tantrik Swayam Rojgar Seva Sahakari Sanstha Ltd., Near Tuljabhavni Temple, Jijamata Nagar, Hingoli - 431513	01/07/2013	01/07/2013

RAIPUR (CHHATTISGARH) REGION

SL. NO.	Code No.	Name of the establishment	Date of Coverage	Date of Consent
01	CG/RAI/ 21915	M/s. Renuka Nagrik Sahkari Bank Maryadit, Ambikapur – Palace Road, Ambikapur – 497001 (Chhattisgarh)	01/07/2011	10/02/2011
02	CG/RAI/ 22138	M/s. Raigarh Nagrik Sahkari Bank Maryadit, Darogapada, Raigarh – 496001 (Chhattisgarh)	01/11/2011	01/11/2011

IndiaCode

Now therefore, in exercise of the power offered by Sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, Central PF Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the names of the said establishments.

P.D. SINHA
Additional Central PF Commissioner
Maharashtra & Chhattisgarh
For Central PF Commissioner, New Delhi

Bangalore-560013, the 17th March 2015

No. EPFO/ACC(K&G)/VOL-COV(10-20)/2485/2014-15—WHEREAS it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employer and the majority of the employees in relation to the following establishments have agreed that the provision of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions, Act 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely:—

Sl. No.	Code No.	Name of the establishment	Date of coverage & Consent
1	Goa/13087	M/s Mansur Enterprises	01.09.2011
2	Goa/13136	M/s Village Panchayat, Varca	01.03.2012
3	Goa/13249	M/s Amith Cargo Movers	01.07.2012
4	KN/MLR/1006307	M/s International Cable TV	01.07.2014
5	KN/MLR/58291	M/s Sowthadka Shree Mahaganapathi Kshethra	01.09.2012
6	GLB/RCH/1038205	M/s Prathamik Krushi Pattina Sahakari Sangh Nymt, Chikkalgundi	01.10.2014
7	GLB/RCH/1041159	M/s Primary Agriculture Co-operative Society, Chanal	01.10.2014
8	GLB/RCH/1038213	M/s Prathamik Krushi Pattina Sahakari Sangh Niyamit, Mannikeri	01.10.2014

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (4) of the Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

M NARAYANAPPA
ADDITIONAL CENTRAL PF COMMISSIONER-I (KN&GOA)

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(SPICES BOARD)

ORDER

New Delhi, the 17th March 2015

Admin-I/Estt/SPEDA/2014.---WHEREAS, the Spices Board proposes to constitute a committee with a mandate to plan and support specific programmes for development and promotion of exports of quality saffron from the State of Jammu and Kashmir, including activities aimed at provision of infrastructure, quality upgradation and research in coordination with private and public sector agencies;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred under section 5 of the Spices Board Act, 1986 (10 of 1986) read with rules 11 and 13 of the Spices Board Rules, 1987, the Spices Board hereby constitutes a committee to be known as the Saffron Production and Export Development Agency with effect from the date of publication of this Order.

1. Constitution.- (1) The Saffron Production and Export Development Agency shall consist of—

(a)	Secretary to the Government of India, Ministry of Commerce and Industry	Chairperson
(b)	Chief Secretary to Government of Jammu and Kashmir or his nominee	Member
(c)	Representative from the Ministry of Agriculture, Government of India	Member
(d)	Representative from Ministry of Commerce and Industry, Government of India	Member
(e)	Chairman, Spices Board of India	Member
(f)	Director, MIDH, Government of Jammu and Kashmir	Member
(g)	Representative, National Horticulture Board	Member
(h)	Representative, Indian Council of Agriculture and Research	Member
(i)	Representative, Sher-e-Kashmir University of Agricultural Sciences and Technology, Jammu	Member
(j)	Joint Director General, Foreign Trade	Member
(k)	Three Progressive Saffron farmers (to be nominated by the Central Government in consultation with the Government of Jammu and Kashmir)	Member
(l)	Two Saffron Exporters	Member
(m)	Two Saffron Traders (to be nominated by the Central Government in consultation with the Government of Jammu and Kashmir)	Member

(2) All meetings of the Saffron Production and Export Development Agency shall be chaired by the Chairperson and in his absence; the meetings shall be chaired by the Chief Secretary to the Government of Jammu and Kashmir or the next senior-most member of the said Agency.

2. Secretariat.- (1) The Saffron Production and Export Development Agency shall be headed by a Secretary who will be appointed by the Spices Board, on deputation failing which by direct recruitment and shall appoint such staff as may be determined by the Spices Board.

(2) The headquarters of the Agency referred to in sub-paragraph (1) shall be at Srinagar in the State of Jammu and Kashmir.

3. Functions.- (1) The Saffron Production and Export Development Agency shall exercise the following functions, namely:—

(a) promote programmes to increase consumption of saffron;

(b) coordinate programmes, activities and projects relating to production, development, promotion, marketing and export of saffron;

IndiaCode

(c) provide assistance for improved method of cultivation, replanting and expansion of growing area under saffron and its processing and packaging;

(d) undertake programmes and projects for promotion of export of saffron;

(e) assist and encourage creation of appropriate infrastructure for processing, packaging and warehousing;

(f) assist and encourage studies and research for improvement of processing, quality, techniques of grading and packaging of saffron;

(g) establish quality evaluation laboratory for saffron;

(h) undertake activities connected with evaluation and control of quality of saffron for export;

(i) evolve suitable quality standards and introduce certification of quality for saffron export;

(j) identify new markets for promotion of export of saffron;

(k) dissemination of information on market and price of saffron among all the stakeholders of saffron industry;

(l) promote co-operative efforts among growers of saffron;

(m) provide training on scientific cultivation of saffron, testing of quality, fixing grades for saffron;

(n) collect statistics from growers, dealers and such other agencies as may be prescribed on any matters related to the saffron industry;

(o) advise the Central Government, the Government of Jammu and Kashmir and the Spices Board on matters related to production, marketing, quality and export of saffron;

(p) undertake such other activities as may be necessary in order to further the programmes for development and promotion of exports of quality saffron, and the functions mentioned above.

(2) The Agency referred to in sub-paragraph (1) shall have one meeting in each quarter and not less than two meetings in a financial year.

4. Powers.- (l) The Saffron Production and Export Development Agency, in discharge of its functions, shall have the power to—

(a) prescribe duties for its officials, and exercise supervision and disciplinary control over them, as may be necessary;

(b) sanction the expenditure for undertaking programmes, activities and services and other administrative expenses required for its effective working as per the financial and administrative powers delegated by the Spices Board;

(c) take decisions in respect of the matters or programmes as per the functions assigned to it;

(2) In matters where the decision cannot wait for specific approval of the Saffron Production and Export Development Agency, the Secretary may take decision to perform any of its functions effectively in consultation with the Chairman of the Spices Board and the action taken shall be put up for ex-post facto approval in the next meeting of the said Agency for its approval.

5. Finance.- (l) The Saffron Production and Export Development Agency shall, for implementation of its programmes, prepare an annual plan and budget of its activities and have it approved by the Spices Board.

(2) The Central Government may provide, through the Spices Board, grant of such sums of amount as may be considered necessary.

6. Control and supervision.- For all practical purposes, the Saffron Production and Export Development Agency shall act as a subordinate agency of the Ministry of Commerce and Industry in the Central Government and function under the overall authority, supervision and control of the Spices Board.

A. JAYATHILAK
CHAIRMAN
SPICES BOARD

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2015

PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2015

www.dop.nic.in

DOPGIPF—[PART III—SEC.4]—121 + 25 + 50 = 196 Copies